कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती सुनीता, प्रधानाचार्य, श्रीमती सरस्वती देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माण्डासी जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुडिया, मकराना जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सुनीता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 429/2021 सुनीता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 429/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती सुनीता को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 3 सप्ताह की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दो सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए थे जिसके क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्रीमती सुनीता को राउमावि नुवा, मौलासर जिला नागौर पदस्थापित/समायोजित किया गया था किन्तु राउमावि नुवा, मौलासर जिला नागौर में विभागीय आदेश दिनांक 06.02.2021 द्वारा श्री आलोक शर्मा का पदस्थापन कर दिये जाने के कारण उक्त विद्यालय में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

उक्त दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्रीमती सुनीता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राबाउमावि श्रीमती केशरदेवी सेठी, लाडनूं जिला नागौर/राउमावि झांझा, बुहाना जिला झुन्झुनूं/राउमावि काशी का बास, धोद जिला सीकर/राउमावि जसवन्तगढ, लाडनूं जिला नागौर अथवा राउमावि बाकलिया, लाडनूं जिला नागौर में प्रधानाचार्य पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्रीमती सुनीता के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका समायोजन राबाउमावि श्रीमती केशरदेवी सेठी लाडनूं (213502) जिला नागौर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुनीता/429/2021/128 दिनांकः 18/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती सुनीता, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)